संख्या-458/2018/592/22-2-2018-17(148)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र उर्फ दादा पुत्र श्री सोनीसिंह, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15196/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 17.11.2016) दिनांक 17.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र उर्फ दादा पुत्र श्री सोनीसिंह, जो-मोहबलीपुर, थाना-जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। बन्दी का मृतक होती सिंह से जमीन के सम्बन्ध में विवाद था। दिनांक 15.08.1995 को होती सिंह प्रातः साईकिल से खुर्जारोड डेरी पर जा रहा था, कि बन्दी ने रास्ते में होती सिंह पर गडासे से हमला कर दिया जिससे होती सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1017/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 02.05.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2017 तक 20 वर्ष 06 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 1 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में अस्पष्ट अभिमत दिया गया है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने आदि के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र उर्फ दादा पुत्र श्री सोनीसिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी देवेन्द्र उर्फ दादा (बन्दी संख्या-4585) पुत्र श्री सोनीसिंह, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-458/2018/592/(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।